[श्री शिवचन्द्र झा]

पर आ रहा हूँ। वह उस पर आये नहीं और हाउस एजार्न हो गया। जहाँ तक मुझे मालूम है, आल-इण्डिया रेडियो से जवाब आ गया है। यह विशेषाधिकार का मामला है। आप उसके बारे में अपना रूलिंग दें।

सभापति महोदय : आपने यह मामला माननीय स्पीकर साहब के सामने उठा दिया है। वह उनके विचाराधीन है। इसलिए आप मेहरबानी करके उन्हीं से बात कीजिए। वही इसके बारे में फैसला करेंगे।

---

14 36 brs.

ARCHITECTS BILL—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Shri Randhir Singh—not present.

Shri Bhagaban Das.

श्री भगवान दास (औसग्राम) : सभापति महोदय, यह जो आर्किटेक्ट्स बिल सदन में चर्चा के लिए लाया गया है, यहाँ आने से पहले उस पर सिलेक्ट कमेटी में विचार हुआ है। इस बारे में एक मेम्बर ने अपना नोट आफ डिसेंट दिया है, लेकिन बाकी सब मेम्बरों ने उसका समर्थन किया है। सिलेक्ट कमेटी में यह बिल पहले से कुछ उन्नत हुआ है। पहले तो इस बिल में केवल आर्किटेक्ट्स की मानोपली बनाई गई थी। सिलेक्ट कमेटी ने उसमें कुछ संशोधन करके यह सुविधा दी है कि जिन इंजीनियर्ज ने पांच साल तक आर्किटेक्ट का काम किया है, उनको मान्यता दी जायेगी। इसके लिए हम सिलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देते हैं।

हमारे देश में हजारों लोगों के रहने के लिए मकान नहीं हैं। इसलिए आर्किटेक्चर के सम्बन्ध में ऐसा प्लानिंग होना चाहिए, जिस से सस्ते और बहुत दिन तक टिकने वाले मकान बनाये जा सकें। इस समय ऐसा नहीं किया जा रहा है।

पिछली तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में बहुत से इंजीनियर्ज, सरवेयर्ज और ड्राफ्ट्समैन ने भी काम किया है, लेकिन उन लोगों को इस बिल की परिधि से बाहर रखा गया है। हम समझते हैं कि यह ठीक नहीं है। अभी भी देश की बहुत तरक्की करने की जरूरत है। अभी हमारे देश में बिल्डिंग इन्डस्ट्री का बहुत विकास किया जाना है। इसलिए मेरी अपील है कि उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाये।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह अमेंडमेंट दिया है कि पंजाब के रसूल विद्यालय से निकले हुए लोगों को भी इसमें लिया जाये। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस अमेंडमेंट को मान लें।

सभापति महोदय : इस बिल के लिए जो टाइम एलाट किया गया है, उसमें केवल पंद्रह मिनट रह गये हैं। अभी कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री शिकरे

श्री शिकरे (पंजिम) : सभापति जी, एक नाटक कम्पनी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जाने वाली थी। नाटक कम्पनी के मालिक ने वहाँ के थियेटर के मालिक को काल किया और उससे कहा कि तुम अपने होर्डिंग करने वाले टेकनिशियन, ऐडवर्टाइजर वगैरह जो हैं उनको तैयार रखो। मालिक ने उसको तार भेजा और उसमें कहा कि हमारे आदमी तैयार हैं क्योंकि छोटे से गांव में सब काम करने वाला एक ही आदमी होता है। उस थियेटर का काम करने वाला टेकनिशियन, ऐडवर्टाइजर सब कुछ एक ही आदमी था। तो ऐसी परिस्थिति छोटे छोटे गांवों में होती है। ऐसे ही इन छोटे छोटे गाँवों में आर्किटेक्चर का काम

इन्जीनियर करते हैं, ड्राफ्ट्समैन करते हैं और पब्लिक वर्क्स जिनको नक्शा बनाने का परवाना देता है वह जो एथोराइज्ड नक्शा बनाने वाले होते हैं वह भी करते हैं। ऐसी परिस्थिति छोटे छोटे गांवों में और छोटे छोटे शहरों में आती है जैसी परिस्थिति उस थियेटर के मालिक की थी। तो ऐसे जो आदमी हैं उनको पहले प्रोत्साहन देना चाहिए जब कि इस बिल में यह कहा गया है कि आर्किटेक्ट ही भविष्य में इस तरीके का काम करेंगे। हमारे यहां गोवा में एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि यह बिल वहां लागू किया जायेगा तो छोटे-छोटे टाउन्स में, छोटे-छोटे नगरों में कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी क्योंकि आप जानते हैं कि गोवा में तीन-तीन चार-चार हजार तक की जनसंख्या के गांवों में भी टाउन प्लानिंग कमेटियां बन गई हैं और टाउन प्लानिंग कमेटी जब तक बिल्डिंग का नक्शा पास न करे तब तक कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती है। तो अब ऐसी परिस्थिति आ जायगी कि जो छोटे छोटे ड्राफ्टसमैन और इंजीनियर्स वगैरह नक्शा बनाने का काम करते हैं उनको तो काम नहीं मिलेगा और काम कौन करेगा? आर्किटेक्ट। हमारे शशि भूषण जी कल यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और समाजवाद के चौखटे में इस बिल को बैठाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि छोटे छोटे गांवों में और टाउन्स में नक्शा बनाने का काम करने वाले जो हैं वह क्या करेंगे? क्योंकि अब आर्किटेक्ट्स को ही वह काम करने का परवाना दिया जायगा, इसलिए वह जो अभी तक यह काम करते आए हैं वह मुसीबत में पड़ेंगे। हम ने गोवा में देखा है कि जब कोई आर्किटेक्ट के पास जाता है और अपनी बिल्डिंग का नक्शा बनाने को कहता है तो वह कहते हैं कि तुम हमारी फीस भर सकोगे क्या? उनकी फीस परसेंटेज की बेसिस पर होती है। अब छोटी-छोटी बिल्डिंग्स की बात आएगी तो उसमें उन को फीस कम मिलेगी तो छोटी बिल्डिंग का काम आर्किटेक्ट नहीं लेगा क्योंकि उसे उसमें फीस कम मिलेगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि लोगों को कठिनाइयां आयेंगी।

मैं यहां गोवा के बारे में और एक बात रखना चाहूँगा। वह यह है कि जो शैड्यूल तैयार किया गया है उसमें तो भारतीय यूनिवर्सिटीज़ से जिनको डिप्लोमा या डिग्री मिली है उनका रजिस्ट्रेशन हो जायगा। लेकिन गोवा में पहले पुर्तगीज़ अधिसत्ता थी और अब गोवा स्वतंत्र हो गया। जो बिल तैयार करने वाले हैं उनको शायद यह मालूम नहीं है कि गोवा में जो आर्किटेक्चर का काम करने वाले थे वह पुर्तगाल या ब्राज़ील की यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिए हुए थे। तो उनका भी इन्क्लूजन इसमें होना चाहिए। उन लोगों को भी भविष्य में काम करने की सुविधा मिलनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहूँगा कि जो फारेन यूनिवर्सिटी पुर्तगाल की या ब्राजील की हैं उनसे जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा लिया है उनको भी वह इस में शामिल होने का मौका दें। हमारे वहां का जो करीक्यूलम था वह पुर्तगीज माध्यम से था और पुर्तगीज माध्यम से जो शिक्षा लेते थे उन को पुर्तगाल में या ब्राजील में ऐसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए जाना पड़ता था। तो उनके बारे में भी इसमें प्राविजन होना चाहिए। अन्त में मैं एक ही बात और कहना चाहूँगा कि जो सब-इंजीनियर्स हैं या नक्शानवीस हैं उनको इस सूची में प्रवेश मिलना ही चाहिए लेकिन उसके साथ साथ एक बात यह और है कि विदेशों में अभी अर्थक्वेक इन्जीनियरिंग का एक नया कोर्स शुरू हो गया है। मुझे मालूम हुआ है कि पूना में बालचन्द कालेज में भी अर्थक्वेक इन्जीनियरिंग का अभ्यास करने वाले दो स्कालर हैं। आपको पता होगा कि दक्षिण महाराष्ट्र का जो पठार था कहा जाता है कि वह बिलकुल साउन्ड भूमि है लेकिन कोयना के परिसर में जो भूकम्प आया उसके बाद मालूम हुआ कि वह पठार भी इतना साउन्ड नहीं है। तो मेरा

[श्री शिकरे]

कहना यह है कि जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिए हुए हैं या लेंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाए क्योंकि वही जान सकते हैं कि भूकम्प जहां हो सकते हैं ऐसे प्रदेशों में जो इमारतें बनेंगी वह कैसी बनेंगी और उसके लिए अर्थक्वेक इन्जीनियरिंग के ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसलिए उनको भी शामिल किया जाये।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : सभापति महोदय, आपने जो मुझे थोड़ा सा वक्त दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ज्यादा वक्त न लेते हुए इस बिल का जो आर्किटेक्ट्स की सुरक्षा करने के लिए लाया गया है उसका स्वागत करता हूँ। आज यह स्थापित (आर्किटेक्ट) लोग शहरों में बड़ी बड़ी लागत के मकान बनाने की योजना बनाते हैं। वह कई महत्वपूर्ण काम करते हैं लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जो बड़ी बड़ी लागत के मकान रहते हैं उनको बनाने की योजना वह लोग तैयार करते हैं। भारत एक ग्राम-प्रधान देश है और भारत में अगर देखा जाय तो वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए 8 करोड़ 18 लाख घरों की कमी है। 8 करोड़ 18 लाख घरों की आवश्यकता है और इसलिए भारत सरकार ने इस प्रश्न पर जब हमने कई बार जोर डाला और इसके महत्व को प्रकट किया तो उसकी एक परियोजना बनाई। इस परियोजना के अधीन देहात में कुछ मकान बनाने का काम करना चाहते हैं। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 33 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और इसके लिए एक सचल कोष का निर्माण भी किया जायेगा। सरकार का यह भी विचार है कि यह जो मकान हैं यह रूस तथा अन्य देशों में जैसे सस्ते घरों का निर्माण करते हैं इस तरह से कम लागत के मकान देहात में बने और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जो स्थापित (आर्किटेक्ट) लोग हैं इनके लिए बिल का स्कोप बढ़ाकर देहात के लिए मकान की योजना तैयार करने का काम भी उसमें शामिल किया जाय और यह काम भी इनको दिया जाये। देश को इस समय इसकी आवश्यकता है और इसलिए मैंने यह कहा कि बिल का स्कोप बढ़ा कर यह प्राविजन उसमें किया जाना चाहिए। दूसरा इसमें मेरा सुझाव है कि इस विधेयक के अनुसार हमारे देश में जिन्होंने स्थापत्य की योग्यता प्राप्त की हुई है, और उपाधियां जिनको मिली हुई हैं उनको रजिस्टर किया जायगा लेकिन उसमें कमी है कि कुछ राज्य सरकारों ने जो इनको उपाधियाँ दी हैं उनको नहीं माना जायेगा। इस वजह से इस समय मेरे पास जो इन्फर्मेशन आई है, उसके मुताबिक 2500 लोग इससे वंचित हो जायेंगे। इस समय राज्य सरकार द्वारा जो स्थापत्य कला डिप्लोमा दिया जाता है, उसकी मान्यता वापस ली जा रही है, इसका परिणाम सरकार के डिग्री या डिप्लोमा देने के अधिकार में विश्वास नहीं रहेगा। सरकार एक ओर 14 वर्षों का अनुभव प्राप्त लगभग 2500 डिप्लोमाधारियों की मान्यता वापस लेना चाहती है और दूसरी ओर वही सरकार कुछ लोगों के लिए, जिनका सरकार मे प्रभाव है, विदेशी सरकार के प्रमाण पत्र को मान्यता दे रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके स्कोप को बढ़ा कर इन लोगों को सुविधा देनी चाहिए, जैसी कि राज्य सभा ने सुविधा दी है।

तीसरा सुझाव—जैसे महाराष्ट्र सरकार है, पहले यह बम्बई सरकार थी। इसलिए मैंने संशोधन किया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा या भूतपूर्व बम्बई सरकार द्वारा प्राइवेट और अंशकालिक छात्रों को दिया गया स्थापत्य कला डिप्लोमा मान लिया जाये।

सभापति महोदय, आपने घण्टी बजा दी है, इसलिए मैं इस बिल का फिर से स्वागत करता हूं और मेरा जो संशोधन है उसके मान लेने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं।

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): I rise to support the Architects Bill as reported by the Joint Committee. I had occasion to go through the original Bill in which the architect was defined as a person who can design and supervise the erection of a building. This caused certain difficulties with regard to the engineers, and the engineers were adversely affected. As a matter of fact, architects have a limited scope of designs, because so far as design is concerned, they are merely concerned with the architectural design, and the supervision is also confined only to such special cases as would be prescribed for architectural work.

However, the Joint Committee has suggested something by which the definition of architect has been changed so that an architect means a person whose name is for the time being in the register. This means that those who are practising as architects, whether architects or not, will be on the register, if they meet the requirements of this Bill. Therefore, this Bill has a significant part to play.

I would like to say one thing in this connection that in this Bill or for that matter in any other Bill, the situation obtaining in the country has got to be taken into account. You are aware that there are lakhs of degree and diploma-holding engineers all over the country who are running without jobs. In that context we have to see how far the engineers and overseers and diplomaholders can be accommodated. There are about 3500 architects in this country according to the register, out of whom about 3000 are practising as architects. If we confine the architectual designs merely to these architects, then the cost of construction will go high, because the architects will monopolise and they can charge anything between 5 to 7 per cent. But if we include these practising engineers also, then the architects fees can be reduced to something between 2 and 3 per cent.

I would like to say a word in connection with the qualifications for a person to be registered as an architect.

Therefore, I would suggest that those persons who are holding a degree or diploma in civil engineering or architecture from Indian or overseas universities should be recognised as qualified for registration as architects under the Bill. Such a case arose in the UK also when they were trying to enact the Architects' Registration Act in 1931. Those engineers who were working for two years as architects have also been recognised as being eligible for registration as architects. Therefore, applications, for registration made by engineers who have been practising for two years in India should also be allowed and they should be put on the rolls of practising architects.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैं इस आशा से तीन मुद्दों पर बोलना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय उन सवालों पर गौर फरमायेंगे, बल्कि अपने विधेयक में आवश्यक परिवर्तन भी करेंगे और कुछ ठोस कार्यवाही भी करेंगे। सभापति महोदय, इस वक्त हमारे देश में इमारतों का नक्शा तैयार करने और उनको बनाने का काम करने वाले जो लोग हैं उनकी रोज़ी और रोटी पर कुछ बड़े सरकारी अफसरान आक्रमण कर रहे हैं। तो क्या मंत्री महोदय अपने जवाब में इस बात का खुलासा करेंगे कि क्या उनको इस बात का पता है कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, दो हजार रुपये से अधिक तनख्वाह पाते हैं वे लोग सरकारी नियमों को तोड़ कर ऐसे निजी मकानों को बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे जो नये इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं उनकी रोज़ी छीन ली जाती है।

सभापति महोदय, मेरे पास ऐसे पांच उदाहरण हैं—एक है सीनियर आर्किटेक्ट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, दूसरे हैं—चीफ आर्किटेक्ट, दिल्ली डवेलपमेंट आथारिटी—मैं इनके नामों को जानबूझ कर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप आपत्ति उठाते हैं, इसलिए उनका केवल पद

[श्री मधु लिमये]

बता रहा हूँ—तीसरे सज्जन हैं—सीनियर आर्किटैक्ट, सी० पी० डब्लू० डी०, चौथे हैं—चीफ आर्किटैक्ट, एन० डी० एम० सी०, और पांचवें सद्गृहस्थ हैं—सीनियर आर्किटैक्ट, सी० पी० डब्लू० डी०। ये जो अन्तिम सज्जन हैं, इन्होंने स्वयं प्रधान मंत्री जी का फार्म-हाउस डिजाइन किया..... (व्यवधान)...... प्रधान मंत्री जी का महरौली में खेत है, उस पर फार्म हाउस डिजाइन करने का काम सीनियर आर्किटैक्ट, सी०पी०डब्लू०डी० ने किया है। यह काम अगर किसी नये आर्किटैक्ट या इंजीनियर को दिया जाता तो उसको कुछ पैसे मिलते। अगर बहुत बढ़िया काम करवाना चाहती थीं, तो हमारे पीलू मोदी साहब थे, उन्हीं को दे देतीं। यह क्या तमाशा है—जब सरकारी नियम बने हुए हैं, तो इस तरह के गलत काम क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर रोक डालने के लिए इस बिल में क्या है ?

यहाँ पर कुछ तरमीमें आई हैं कि सरकारी नौकरी में जो आर्किटेक्ट हैं, उन लोगों के नाम जब तक वे नौकरी में हैं, इसमें दर्ज न किए जांय, यह ठीक है, नौकरी से हटने के पश्चात उनका नाम लाइये, मुझे कोई एतराज नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आप विधेयक के पृष्ठ 18 को देख लें, पार्ट टू में कुछ विदेशी कसौटियों का क्वालिफिकेशन्स के बारे में जिक्र है। मुझे पता चला है कि यह जो 8वीं एंट्री है: Certificate of Fellowship awarded by the Frank Lloyd wright Foundation, U. S. A. लोग कहते हैं यह संस्था तकरीबन अब अस्तित्व में नहीं है, पत्र-व्यवहार के जरिए से अपनी सिफारिशें वगैरह देते हैं। तो जिस पांचवें सज्जन का मैंने नाम लिया जोकि प्रधान मंत्री का फार्म हाउस डिजाइन करने वाले हैं उन्हीं के लिए केवल यह उसमें जोड़ दिया गया है और उसी तरह के दो तीन लोग और हैं।

मेरा तीसरा और आखिरी मुद्दा यह है कि जो ट्राइब्यूनल आप बनाने जा रहे हैं, कल मैंने पीलू मोदी जी से भी बात की थी, वे स्वयं मानते हैं कि सिर्फ आर्किटैक्ट ही इमारतों को बनाने का काम करे, इस तरह की स्थिति हमारे देश में पचास साल के बाद ही उत्पन्न हो सकती है। अभी तो हमारे यहाँ मिस्त्री से लेकर सभी लोगों को काम करना पड़ता है और कुछ समय के लिए यही रहेगा। जब ऐसी बात है तो मेरा कहना है कि ये जो कंसल्टिंग इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं उनका एक एसोसिएशन है तो जो आप ट्राब्यूनल बनाने जा रहे हैं उनमें उन को भी प्रतिनिधित्व दीजिए ताकि उनके हितों की भी रक्षा हो सके।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि यह बात सही है कि जैसे जैसे हमारे देश में विज्ञान का और शिक्षा का प्रसार होता जायेगा तो नये नये विशेषज्ञ पैदा होंगे। जैसे पहले जो आडिटर्स थे वे कास्ट एकाउन्टेन्ट्स हो गए, उनको भी कम्पनी कानून में छूट दे रही है। उसी तरह से आर्किटेक्ट ही काम करे वह स्थिति पचास साल के बाद ही आ सकती है और इस वक्त जब वह स्थिति नहीं है तो क्या कंसल्टिंग इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को भी ट्राइब्यूनल में प्रतिनिधित्व देकर आप उनके हितों की रक्षा करने की बात करेंगे ताकि भविष्य और वर्तमान दोनों का समन्वय और मेल प्रस्थापित हो सके। बस इतना ही मुझे कहना था।

---

15 03 hrs.

EMPLOYEES LEGAL AID BILL*

SHRI SARDAR AMJAD ALI (Basirhat): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for legal aid to workers in matters arising out of their employment in factories.

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27-11-1970.